भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 89
सोमवार, 04 दिसंबर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक)

महाराष्ट्र के लिए केन्द्रीय सहायता

89. श्री सुनील बाबूराव मेंढे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान श्रमिकों के लिए विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत भंडारा- गोंदिया जिलों सहित महाराष्ट्र को दी गई केन्द्रीय सहायता का वर्ष-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं से कितने श्रमिक लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए इस संबंध में राज्य सरकारों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) और अजा/अजजा तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन नामक दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता केवल एनसीएस योजना के तहत प्रदान की जाती है। एनसीएस योजना के तहत, रोजगार चाहने वालों को करियर संबंधी सेवाएं जैसे रोजगार खोजने और मिलान, करियर परामर्श, व्यवसायिक मार्गदर्शन आदि प्रदान करने के लिए आदर्श करियर केंद्र (एमसीसी) की स्थापना हेतु राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार को सहायता प्रदान की जाती है। अब तक, महाराष्ट्र में 28 एमसीसी की स्वीकृति दी गई है, जिसमें गोंदिया में भी एक एमसीसी शामिल है। एनसीएस योजना को, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 से केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनसीएस योजना के तहत गोंदिया सहित महाराष्ट्र को जारी की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

वित्तीय वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
महाराष्ट्र को जारी राशि	384.74	-	-	246.60	-

महाराष्ट्र में, राज्य सरकार के सहयोग से पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 1.81 लाख अभ्यर्थियों को करियर परामर्श/व्यवसायिक मार्गदर्शन/आत्मविश्वास बढ़ाने/भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

*****